**भूस्वामी द्वारा कारित किये गये सदोष उपद्रव के लिए नुकसानी हेतु वाद :**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

ऊपर नामित किया गया वादी निम्नलिखित रूप में अतिसादर पूर्वक निवेदन करता है –

1. यह कि वादी ने उसमें ........................एक स्कूल चलाने के लिए ........................ रुपये के मासिक किराये पर दस वर्षों के लिए एक रजिस्ट्रीकृत पट्टा विलेख के माध्यम से तारीख को ........................नगर में ........................ स्थित एक भवन सं ........................ लिया जिसकी सीमाएं नीचे दी जाती है।
2. यह कि प्रतिवादी ने एक ही परिक्षेत्र में तारीख ........................ के महीने में लगे हुए भवन सं. ........................ में मुद्रण प्रेस की कतिपय मशीनों को स्थापित किया है जिसकी कार्य करने वाली मशीने और बड़ा शोर किया और वादी की संस्था में अध्यापकों एवम् विद्यार्थियों के शिक्षण एवम अध्ययनों में उपद्रव किया।
3. यह कि वादी ने तुरंत न्यूसेंस को रोकने के लिए तथा ........................ रुपये प्रतिमाह की दर पर आज की तारीख तक तदद्वारा कारित की गयी नुकसानी के लिए प्रतिवादी को एक रजिस्ट्रीकृत नोटिस दिया जिस नोटिस को तारीख ........................को प्रतिवादी द्वारा प्राप्त की गयी। प्रतिवादी तारीख ........................ को वादी द्वारा प्राप्त किये गये उसके उत्तर के माध्यम से उसके दायित्व का प्रत्याख्यान किया है और वैसा करने के उसके अधिकार का आश्वासन किया है।
4. यह कि वाद हेतुक तारीख ........................ को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी पार्श्वस्थ भवन में मुद्रण मशीनों पर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया जब वादी न्यूसेंस को रोकने के लिए और वादी द्वारा दावाकृत नुकसानी का संदाय करने के लिए अपने कर्तव्य का प्रत्याख्यान करने वाला प्रतिवादी उत्तर प्राप्त किया। इस न्यायालय को वाद का विचारण करने की अधिकारिता होती है।
5. यह कि वाद का मल्यांकन अधिकारिता के प्रयोजनार्थ ........................ रुपये पर किया जाना है और न्यायालय फीस के संदाय के प्रयोजनार्थ ......... रुपये पर किया जाता है और य फीस का दावाकत अनतोषों के अनुसार संदाय किया जाता है।

दावाकृत अनुतोष

वादी निम्नलिखित अनुतोषों का दावा करता है

1. प्रतिवादी को एक प्रस्तुत होने के रूप में कोई न्यूसेंस कारित करने या उसको चालू रखने से प्रतिवादी को अवरुद्ध करने वाला वादी की अभिधृति की कालावधि दस वर्षों के लिए एक स्थायी आज्ञापक को जारी करने के द्वारा अवरुद्ध किया जा सकेगा जो वादी की संस्था के अध्यापकों एवम् विद्यार्थियों को विघ्न पहुंचाता है।
2. आज की तारीख तक वादी को प्रतिवादी द्वारा कारित की गयी प्रतिमाह ........................ रुपये की दर पर नुकसानी का संदाय।

वादी

जरिये अधिवक्ता

**सत्यापन**

मैं ऊपर नामित वादी, एतद् द्वारा सत्यापित करता हूँ, कि वादपत्र के पैरा ............. ...... ...... ........... .... .. लगायत .................................. की अन्तर्वस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य है और ................................... पैरा के वे सभी तथा उसका.......... उस विधिक सलाह पर आधारित है। जिसे मैं सत्य होने का विश्वास करता हूँ।

मैं इस दिनांक ....... को सत्यापित किया गया।

वादी